न्यायालय सुकुल राम, अवर न्यायाधीश–1, नरकटियागंज
स्वत्व वाद सं0–155/2025

राजन कुमार एवं अन्य..वादीगण

बनाम

जलेश्वर साह एवं अन्य...प्रतिवादीगण

DATE	**ORDER**	**REMARKS**
23.03.2026	वादीगण की ओर से पैरवी नहीं है। वाद पुकार पर न तो स्वयं वादीगण और न ही वादीगण के विद्वान अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित हुए। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रस्तुत वाद त्रुटि निवारण हेतु नियत है। वादीगण दिनांक 28.11.2025 से लगातार कोई पैरवी नही कर रहे है। वादीगण को दिनांक 12.03.2026 को वाद में उचित पैरवी करने हेतु अंतिम अवसर दिया गया था। आज दिनांक 23.03.2026 को भी वादीगण की ओर से कोई पैरवी नहीं किया गया। इससे प्रतीत होता है कि वादीगण को अपने वाद में कोई रुची नही है। ऐसी स्थिति में वाद को लंबित रखना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः वादीगण का वाद अदम पैरवी एवं त्रुटि निवारण के अभाव में खारिज किया जाता है। कार्यालय लिपिक को निर्देश दिया जाता है कि नियमानुसार अभिलेख अभिलेखागार में जमा करायें। लेखापित अवर न्यायाधीश–1 नरकटियागंज	